तारीख
इस हुक्म
में जारी हो

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—519/2013/दावा

1. त्रिलोकाराम पुत्र सुखाराम जाति बलाई निवासी हरिपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

बनाम

1. रूघाराम
2. मोहनलाल
3. हीरालाल
4. रेखाराम

(1–4) पुत्रगण भूणाराम

5. मनोज पुत्र हरदेवा
6. गोमती पत्नि हरदेवाराम
7. सोहनी पत्नि रूघाराम
8. राकेश पुत्र मोहनलाल
9. भूणाराम पुत्र गणेशराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण हरिपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

10. सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादी की ओर से।
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा प्रत

निर्णय

दिनांक 05.08.2019

1. वाद में वादी का कथन व वादसार निम्न प्रकार है:— वादग्रस्त भूमियां नये खसरा नम्बर 525 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 524 रकबा 1.87 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 3.77 हैक्टर वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर मे अवस्थित है जिसमें वादी का

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ (सीकर)

Scanned by CamScanner

1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 9 का 1/2 हिस्सा है तथा उक्त हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण कभी शामिल में व कभी बाहमी बंटवारे अनुसार काश्त करते चले आ रहे है जिसमें सें उपरोक्त भूमियं के पश्चिमी दिशा के 1/2 हिस्से पर वादी काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी सं0 9 पूर्व की तरफ काबिज चला आ रहा है एवं इसी अनुसार आज भी काबिज काश्त चल आ रहे है। वाद का मुख्य कारण यह है कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 9 काफी मजबूत आर्थिक स्थिति वाले तथा संख्याबल में अधिक है तथा वादग्रस्त भूमियों महत्वपूण भू--भाग पर बलात कब्जा कर नवनिर्माण करने की फिराक में है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 के यहां वादी की बिना सहमति के विद्यु संबंध अपने अकेले के नाम सें जारी करवाने की फिराक में है जिनका इनको ऐसा करने का कोई कानूनी हक,अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अपने कुउददेश्य में कामयाब हो जाएंगे तो वादी के वैद्य खातेदारी हक व अधिकारों पर आघात होकर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई वाद में कानून में कतई संभव नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों की नींव सींव तोड फोड़ करने, खुर्दबुर्द करने, मौका स्थिति तब्दील करने करवाने व अपने अकेले के नाम विद्युत संबंध जारी करवाने, के लिए स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित करवाने हेतु वादी द्वारा वाद पेश किया गया है।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 10 की ओर सें पेश जवाबदावा में कथन है कि दावा की मद सं0 3 जिस तरह सें तहरीर की गई है स्वीकार नहीं है। उत्तरदाता के कार्यालय में हरदेवाराम पुत्र भूणाराम जाति बलाई निवासी हरिपुरा द्वारा अपने आवासीय मकानात में घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने हेतु दावा किया हैं जो जमा होने पर मौके पर तकमीना बनाया गया जिसके अनुसार 270 मीटर दूरी पर 5 पोल की एल.टी. लाईन ए.बी. लाईन लगाया जाना प्रस्तावित है एवं आवासीय मकानात में विद्युत कनेक्शन दिया जाना कोई गलत नहीं है। उचित एवं आवश्यक है। यह कि उपरोक्त दावा वादी ने आपसी रंजिश के चलते प्रस्तुत किया हैं जबकि विद्युत निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करके घरेलू कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही प्रस्तावित की है परन्तु न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के कारण विद्युत निगम ने कनेक्शन जारी नहीं किया है जबकि नियमानुसार वर्तमान परिस्थिति का मध्यनजर रखते हुए उपभोक्ता हरदेवाराम को घरेलू कनेक्शन जारी किया जाना आवश्यक है।

3. वादी द्वारा पेश आवेदन पर बहस बकुलाय सुनी गई। वादपत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर वाद पर मनन किया गया।वाद

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
दांतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

वादी प्रथम दृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है क्योंकि प्रतिवादीगण की ओर से पेश फोटोप्रति प्रकरण सं0 33/18 उनवानी त्रिलोका बनाम भूणाराम आदि में ही इस वाद में वर्णित खसरा नम्बर 524, 525 का बंटवारा वाद डिकी दिनांक 03.06.2019 को किया जा चुका है। बंटवरे के बाद वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से में विद्युत कनेक्शन करवाने हेतु स्वतंत्र है। वाद में वादी व प्रतिवादीगण के हित निहित को देखते हुए वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
(अशोक कुमार)

सहायक कलक्टर, फास्टट्रेक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner